वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 196/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ

दिनांक- 31.05.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने व अवैध गांजा की तस्करी के रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में **दिनांक- 30.05.2025 को थाना जीयनपुर व एस टी एफ लखनऊ की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा 01 अन्तर्राज्यीय गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 53.200 कि0ग्रा0 गांजा (अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 26 लाख 50 हजार रूपयें) व घटना में प्रयुक्त 01 अदद मैजिक वाहन बरामद** किया गया है।

थाना- जीयनपुर

थाना जीयनपुर व एस टी एफ लखनऊ की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा 01 अन्तर्राज्यीय गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 53.200 कि0ग्रा0 गांजा (अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 26,50,000/- रूपयें) व घटना में प्रयुक्त 01 अदद मैजिक वाहन बरामद किया गया।

गिरफ्तारी/घटना का अनावरण-

दिनांक- 30.05.2025 की रात्रि को थाना जीयनपुर व एस टी एफ लखनऊ की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुबारकपुर तिराहा पर एक संदिग्ध मैजिक वाहन को रोका गया जिसकी तलाशी ली गई तो उक्त वाहन में नाजायज गांजे को कोरियर के समान में छिपाया हुआ पाया गया। जिसे मौके पर ही राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में तलाशी ली गई तो वाहन में **53.200 कि0ग्रा0 अवैध गांजा** पाया गया। जिसके मालिक राजेन्द्र यादव पुत्र स्व0 नोपई यादव निवासी भैसार थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ को **समय करीब 01.55 बजे** पुलिस गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना जीयनपुर पर मु0अ0सं0 199/2025 धारा 8/20/29 NDPS ACT बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

अपराध करने का तरीका:-

गिरफ्तार अभियुक्त राजेन्द्र यादव पुत्र स्व0 नोपई यादव निवासी भैसार थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ ने पूछताछ में बताया कि मैं व मेरा लड़का विजय यादव असम से प्रवित्र वर्मन, निवासी बरपेठा, रोड असम, मो0नं0-69 व 93 से सम्पर्क कर रविगो महिन्द्रा लाजिस्टिक कोरियर कम्पनी से बांस की डिलिवरी के नाम पर बांस के गठ्ठरों के बीच में गत्ते में गांजा पैक कर उसके अन्दर छिपाकर मंगवाते हूँ तथा उक्त गांजा को मैं अपने बेटे विजय यादव के सहयोग से छोटी-छोटी गांजे की पुड़िया बनाकर खुदरा मूल्य में बेचता हूँ। मैं काफी दिनों तक असम में रहा हूँ तथा वहां से अलग-अलग प्रकार के माल की डिलिवरी लेकर आता था। जिससे मुझे

वहां की हर गतिविधियां व भौगोलिक स्थिति की जानकारी थी।

बरामद अवैध गाँजा का विवरण-

1. 53.200 कि0ग्रा0 (अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 26,50,000/- रूपयें)
2. पिकप गाड़ी नं0 UP54AT3297

पंजीकृत अभियोग:-

1- मु0अ0सं0199/2025 धारा 8/20/29 NDPS ACT थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

राजेन्द्र यादव पुत्र स्व0 नोपई यादव निवासी भैसार थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र 55 वर्ष

1- मु0अ0सं0199/2025 धारा 8/20/29 NDPS ACT थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना जीयनपुर	एस टी एफ टीम लखनऊ
1.थानाध्यक्ष जितेन्द्र बहादुर सिंह 2. उ0नि0 जाफर खांन 3.उ0नि0 पवन यादव 4.उ0नि0 हरीश कुमार शुक्ला 5. हे0का0 राजेश कुमार 6. का0 अवधेश कुशवाहा 7. का0 हरिकिशन मौर्य	1.उ0नि0 जावेद आलम सिद्दीकी प्रभारी एस टी एफ लखनऊ 2. हे0का0 मृत्युंजय सिंह 3.हे0का0 यशवन्त कुमार सिंह